न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री नमित मेहता, आई.ए.एस.

राजस्व अपील : 30/2021
जी.सी.एम.एस. : 2021/274

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट :–**

1. गजसिंह पुत्र श्री शेषकरण
2. कैलाशसिंह पुत्र श्री शेषकरण
3. भवानीसिंह पुत्र श्री शेषकरण
   जातिगण चारण निवासी रूपावास
   तहसील पाली जिला पाली

1. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मो0 शरीफ काजी
रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार इरफान बैग ना.तह. अ.र.

–: निर्णय :–

दिनांक :– 26.05.2022

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार पाली के राजस्व प्रकरण संख्या 34/2021 बअनवान सरकार बनाम गजसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2021 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नायब तहसीलदार ने अपीलाण्ट के खिलाफ के विरूद्ध धारा 91 एल. आर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिनांक 15.07.2021 को आदेश पारित किया। उक्त आराजी कृषि भूमि न होकर आबादी भूमि है। पुराने खसरा नम्बर 1170 है। खसरा नम्बर 609 जो पुराने खसरा नम्बर 1170 की कृषि भूमि पुर्व में आबादी भूमि थी तथा इस आबादी भूमि के खसरे के पुर्व में कृषि भूमि स्थित है। जो अपीलाण्ट की खातेदारी भुमि है। पुराने खसरा नम्बर 1180, 1181, 1184 के पश्चिम की तरफ आबादी भूमि को रास्ता दिया गया है। जिस पर सीसी रोड बनी हुई है। जिसके दोनो ओर आबादी भुमि स्थित है। अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जो कार्यवाही की गई वह कृषि भूमि का रास्ता होने से प्रकरण दर्ज किया गया है। जबकि उक्त रास्ते की भूमि आबादी भूमि है। जिसपर कार्यवाही करने का अधिकार नायब तहसीलदार को नहीं है। आबादी भूमि का स्वामित्व का अधिकार ग्राम पंचायत मे निहित है। जिस पर किसी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार तहसीलदार को न होकर ग्राम पंचायत को है। तहसीलदार द्वारा ग्राम पंचायत को सुचित किये बिना ही बाले–बाले उक्त जैर अपील आदेश की कार्यवाही कर दी जो विधि विरूद्ध है। इस सन्दर्भ में अपील अपीलांट ने भू प्रबन्ध एकीकरण विभाग का मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट भवानीसिंह, कैलाशसिंह एवं गजसिंह को जरिये नोटिस तलब किया, लेकिन अपीलाण्टगण का नोटिस तामिल नही हुआ न ही अपीलाण्टगण के नोटिस पर हस्ताक्षर है। बिना नोटिस तामिल हुए ही जैर अपीलाधीन

जिला कलक्टर, पाली

आदेश पारित कर दिया,अपीलाण्ट को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर दिए बिना, जवाब पेश करने का अवसर दिए बिना ही उसके खिलाफ जैर अपील का आदेश पारित कर दिया। जैर अपील आराजी भूमि के संबध में यह कही स्पष्ट नही होता की खसरा नम्बर 609 कृषि भूमि का रास्ता है। इस प्रकार बिना विधि प्रक्रिया अपनाये सबुतो की अनदेखी करते हुए राजस्थान भु राजस्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघंन है। प्रकरण 07.07.2021 को दर्ज कर दिनांक 15.07.2021 को महत 08 दिवस में सम्पुर्ण कार्यवाही की कई जिससे स्पष्ट है अपीलाण्ट के विरूद्ध गई जैर अपील आदेश की कार्यवाही बिना प्रक्रिया अपनाये एंव अपीलाण्ट को बिना सुनवायी का समुचित अवसर दिये बगैर की गई, निर्णय के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके पश्चात दिनांक 08.10.2021 को हल्का पटवारी से उसे जैर अपील आदेश के संबंध में जानकारी हुई तो उसने जैर अपील आदेश की प्रति प्राप्त कर अपील न्यायालय में जरिये अधिवक्ता पेश की, जिसे जानकारी से अन्दर म्याद फरमाया जाकर जैर अपील आदेश निरस्त फरमावें। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने तर्को की ताईद में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1982 पृष्ठ 314 एवं आरआरडी 1982 पृष्ठ 151 पेश किए।

सरकारी पैरोकार ने वकील अपीलांट की बहस का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, यह वह स्वयं स्वीकार करता है। उक्त अतिक्रमण के संबंध में हल्का पटवारी ने टी.पी. रिपोर्ट मातहत अदालत में पेश की, अपीलाण्ट का यह अतिक्रमण पश्चातवृति अतिक्रमण है। जिस पर प्रकरण दर्ज करते हुए मातहत अदालत ने अपीलाण्ट की उपस्थिति में उसके विरूद्ध जो आदेश पारित किया है, वह विधि सम्मत है। इसके साथ ही अपीलाण्ट द्वारा अपील म्याद बाहर पेश की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर, अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। पटवारी हल्का रूपावास ने अपीलाण्ट द्वारा ग्राम रूपावास के वर्तमान खसरा नम्बर 609 रकबा 2.02 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता जो पुराने खसरा नंबर 1170 मीन, 1178 मीन से बना है। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भूमि एकीकरण विभाग के मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नंबर 1170 आबादी थी, परन्तु नए खसरा नं. 609 गै.मु. रास्ता दर्ज है जो पुराने खसरा 1170 मीन, 1178 मीन से बने है। अतः रास्ते की भूमि राजस्थान सरकार के अधीन आती है। जिस पर सरकार जरिये तहसीलदार को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पूर्ण अधिकार है। जैर अपील आराजी पर अपीलाण्ट द्वारा बाडा बना कर कब्जा कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किए जाने बाबत टी.पी. रिपोर्ट नायब तहसीलदार पाली के समक्ष पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार पाली ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया तथा अपीलाण्ट को आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया, जिसमें भवानी सिंह को जारी नोटिस पर स्वयं के हस्ताक्षर है तथा कैलाशसिंह के नोटिस पर भवानीसिंह के भाई के रूप में हस्ताक्षर है जो तामील माने जाते है तथा गजसिंह के नोटिस पर तामील की स्पष्ट रिपोर्ट नहीं है। अपीलाण्ट भवानीसिंह आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.07.2021 को मातहत अदालत में उपस्थित रहे। जिसकी ताईद मातहत आदलत की आदेशिका से होती है। इससे स्पष्ट है कि मातहत

जिला कलेक्टर, पाली

अदालत द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किए जाने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया, तथा मातहत अदालत द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार में होते हुए विधि सम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है। नायब तहसीलदार पाली के प्रकरण संख्या 34/2021 बअनवान सरकार बनाम गजसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2021 को यथावत रखा जाता है। नायब तहसीलदार पाली को निर्णय की प्रति के साथ उनके न्यायालय की मूल पत्रावली भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली